

	FILE No.	
NAME		
SUBJECT		
SERIAL No.	то	
FROM MONTH		
	YEAR	20

VLY-P-25 Chotalo.19165/2014 Bits A. Hestate f Borker Provisional List off-12-11-2011 \$/06:3 2-2-15 8/No-18-16 Bl.H.J.B.P. verong 24.9-18- Mentioning Slip pecepted PHJ. Shive Ji Pamoly. 212-2022 SL-43 H. J. A. Ammonullah C. Hassich Kr - Foronders - P.O. 3-12 2082 : C.N.-XI-SL-28- 25

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. 19165 /of 2014

Bihar Administrative Service Association through its General SecretaryPETITIONER.

VERSUS

The State of Bihar and others.

...RESPONDENTS.

Sub:- Govt. Service (Gazetted)-Pay Scale

INDEX

\underline{SL}	. No. Particulars.	Page
<u>No</u>	<u>os.</u>	
1.	Synopsis of the case	
2.	An application under Article 226 of the	
	Constitution of India	1-9
3.	Annexure-1 A copy of said circular no. 3623 dated 31.3.20	10
4.	Annexure-2 A copy of relevant provision of Rule-24 of said	id
	Departmental Examination Rules, 1961	12-13
5.	Annexure-3 A copy of said letter no.47 dated 30.9.2013	14-16
6.	Annexure-4 A copy of said letter no.48 dated 30.9.2013	17-18
7.	VAKALATNAMA.	Ale the state of t



The Hold of the provision of the Grade for for land grade of the form of the Grade for for and prisons from the form of the fo

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary

..PETITIONER

VERSUS

The State of Bihar and others.

.....RESPONDENTS.

SYNOPSIS

Relief Prayed For:-

For issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/ directions to quash the circular no. 3623 dated 31.3.2010 (Annexure-1); issued by the Deputy Secretary of Finance Department regarding admissibility of grade pay and pay band in revised pay scale, which is contrary to the proviso of Rule-24 of Departmental Examination Rules, 1961 and further for a consequential writ directing the respondents to implement the proviso of said Rule-24 by giving notional benefit to all the officers of petitioner association under 6th pay revision, as contemplated therein following terms: "Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases."

Relevant date with brief facts:

1.1.2006: After 6th pay revision two pay bands were implemented in the basic grade of Bihar Administrative Service and for first four years it

was prescribed as PB-2 and Grade pay 5400, whereas after four years and confirmation PB-3 and Grade pay 5400 was prescribed.

The revised pay structure was implemented with effect from 1.1.2006 and as such on that day i.e. on 1.1.2006 such officers of basic grade who had not got first ACP and whose service period was more than four years with confirmed service were placed in PB-3 at Grade pay 5400 and rest of the officers of basic grade who had not completed four years of service prior to 01.01.2006 or had more than four years of service prior to 01.01.2006 but not confirmed in the service were placed in PB-2 (9300-34800) G.P. 5400/- after revision of the pay scale.

31.3.2010: In view of clarification sought for by the Commercial Tax Department Bihar, Patna about admissibility of grade pay and pay band in the revised pay scale; the Deputy Secretary of Finance Department, Govt. of Bihar had issued circular no. 3623 dated 31.3.2010 stating therein that the officers who had completed four years prior to 1.1.2006 or who would complete four years in between 1.1.2006 to 1.1.2010 shall be given pay band-3 and grade pay 5400/from the date 1.1.2006 or on the day on which he would completes four years (with confirmation), whichever is later. It was further clarified that as for said upgradation confirmation of service is mandatory so necessary order regarding confirmation of service and upgradation of pay will be required to be issued form the concerned department and on that basis pay slip will be issued. Therefore it was . clarified that benefit of upgradation would not be given automatically and it will be required to be notified by the concerned department (Anx-1). 10-11 - Forfryped herecoith - due to wrong interpretating

Rule-24 of said Departmental Examination Rules, 1961, provides as follows: "Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases." (Anx-2)/12-13

30.9.2013: Upon confirmation in service of such officers after 01.01.2006, Finance (PCFC) Department had fixed their pay from the date of

II. Borksof

confirmation in PB-3 instead of from the date of completion of four . years of service; without giving the notional increments as mandated under said Rule-24. Such erroneous fixation of revised pay of said officers whose service were not confirmed on 1.1.2006 gave rise to certain gross anomalies and the officer of the same batch are getting different pay scales due to erroneous fixation of their pay at different levels. In some cases even the junior officer of later batch is getting higher pay than his senior officers of earlier batch. As the such anomalies in pay revision is contrary to the Rule-24 of the Departmental Examination Rules of Gazetted Officers, 1961, the petitioner association has represented the matter before the Principal Secretary of Finance Department by submitting letter no. 47 and 48 dated 30.9 2013. The petitioner association has raised the issue giving sample pay slips of some officers showing that officer of 42nd batch was getting higher pay than the officer of 41st batch of Bihar Administrative Service. (Anx-3)

30.9.2013: Same issue of financial anomalies in pay revision under 6th pay revision of such B.A.S. Officers of petitioner association (who had not completed four years of service on 1.1.2006 and were placed in PB-2 on that day and subsequently upon completion of four years of service or confirmation of service, the upgradation from PB-2 to PB-3 was done from the date whichever is later in the light of said circular no. 3623 dated 31.3.2010) has been raised by the petitioner by submitting letter no. 48 dated 30.9.2013 before the Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar, Patna (Anx-4)/17-18

- No action is being taken by the state respondents and the member officers of the petitioner association is suffering continuously due to such pay anomalies and the junior officers are getting higher pay then the senior officers.

Hence the necessity of the present writ petition by the petitioner association to avoid multiplicity of litigation by individual officers, who are suffering due to wrong interpretation and non implementation of said proviso of Rule-24 of Departmental Examination Rules, 1961.

Filed Through:
Abbay Stanker Singh
XOR No.01994

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION) C.W.J.C. No. 19165 of 2014

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

AND

In the matter of:-

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sushil Kumar son of late Raghunath Prasad, having office at Administrative Service Building (BASA Bhawan), Jawahar Lal Nehru Marg, Patna-1PETITIONER.

VERSUS

- 1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar, Patna.
- 2. The Principal Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna.
- 3. The Under Secretary, Finance Department, Personal Claim Fixation Cell (PCFC), Govt. of Bihar, Patna.
- 4. The Officer-in-charge-cum-Authorized Officer, Personal Claim Fixation Cell (PCFC), Finance Department, Govt. of Bihar, Patna. RESPONDENTS.

To

Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner named above;

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

- 1. That the petitioner seeks kind indulgence of this Hon'ble Court for the following relief/reliefs:-
- A) For issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions to quash the circular no. 3623 dated 31.3.2010 (Annexure-1); issued by the Deputy Secretary of Finance Department regarding admissibility of grade pay and pay band in revised pay scale, which is contrary to the proviso of Rule-24 of Departmental Examination Rules, 1961 and further for a consequential writ directing the respondents to implement the proviso of said Rule-24 by giving notional benefit to all the officers of petitioner association under 6th pay revision, as contemplated therein following terms: "Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the



- time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases."
- B) For any other relief/reliefs to which the petitioner is found entitled under the facts and circumstances of the present case.
- 2. That the petitioner is a registered association of Gazetted Officers of Bihar Administrative Services having its registration no. 633/2003 and it is a juristic person which can sue and can be sued through its general secretary. The office of the petitioner association and the subject matter of the present writ petition is well within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
- 3. That the petitioner association represents the collective interest and well being of all the member officers of Bihar Administrative Service and the subject matter of the present writ petition is being pursued by the petitioner association before all concerned since the date of issuance of Finance Department Circular No. 3623 dated 31.3.2010 issued by the Deputy Secretary of Finance Department about admissibility of grade pay and pay band in the revised pay scale under 6th pay revision.
- 4. That it is humbly submitted that in view of clarification sought for by the Commercial Tax Department Bihar, Patna about admissibility of grade pay and pay band in the revised pay scale; the Deputy Secretary of Finance Department, Govt. of Bihar had issued circular no. 3623 dated 31.3.2010 stating therein that the officers who had completed four years prior to

4

1.1.2006 or who would complete four years in between
1.1.2006 to 1.1.2010 shall be given pay band-3 and grade pay
5400/- from the date 1.1.2006 or on the day on which he would
completes four years (with confirmation), whichever is later. It
was further clarified that as for said upgradation confirmation
of service is mandatory so necessary order regarding
confirmation of service and upgradation of pay will be required
to be issued form the concerned department and on that basis
pay slip will be issued. Therefore it was clarified that benefit of
upgradation would not be given automatically and it will be
required to be notified by the concerned department.

A copy of said circular no. 3623 dated 31.3.2010 is annexed as Annexure-1

- 5. That after 6th pay revision two pay bands were implemented in the basic grade of Bihar Administrative Service and for first four years it was prescribed as PB-2 and Grade pay 5400, whereas after four years and confirmation PB-3 and Grade pay 5400 was prescribed.
- 6. That the revised pay structure was implemented with effect from 1.1.2006 and as such on that day i.e. on 1.1.2006 such officers of basic grade who had not got first ACP and whose service period was more than four years with confirmed service were placed in PB-3 at Grade pay 5400 and rest of the officers of basic grade who had not completed four years of service prior to 01.01.2006 or had more than four years of service prior to 01.01.2006 but not confirmed in the service were placed in PB-2 (9300-34800) G.P. 5400/- after revision of the pay scale.

7.

That it is humbly submitted that the Officers of Bihar Administrative Service whose pay fixation was done in PB-2 due to non confirmation of service on 1.1.2006 or after, are required to be upgraded to PB-3 & G.P.-5400/- on confirmation, notionally from the date of their completion of 4 years of service from the date of their first joining in the service and the actual benefits of all pay increments together are to be paid with effect from the date of confirmation of service as per Rule-24 of Departmental Examination Rules of Gazetted Officers, 1961 as clarified in proviso thereof as follows:-"Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases."

A copy of relevant provision of said Rule-24 is annexed as Annexure-2.

8. That on confirmation in service of such officers after 01.01.2006, Finance (PCFC) Department had fixed their pay from the date of confirmation in PB-3 instead of from the date of completion of four years of service; without giving the notional increments as mandated under said Rule-24. Such erroneous fixation of revised pay of said officers whose service

were not confirmed on 1.1.2006 gave rise to certain gross anomalies and the officer of the same batch are getting different pay scales due to erroneous fixation of their pay at different levels. In some cases even the junior officer of later batch is getting higher pay than his senior officers of earlier batch. As the such anomalies in pay revision is contrary to the Rule-24 of the Departmental Examination Rules of Gazetted Officers, 1961, the petitioner association has represented the matter before the Principal Secretary of Finance Department by submitting letter no. 47 and 48 dated 30.9.2013. The petitioner association has raised the issue giving sample pay slips of some officers showing that officer of 42nd batch was getting higher pay than the officer of 41st batch of Bihar Administrative Service. It was illustrated by way of sample that B.A.S. Officer of 41st batch Sri Hemant Kumar Singh, Senior Deputy Collector, Patna was getting Rs. 35,773/- only whereas B.A.S. Officer of 42nd batch was getting Rs. 36,842/- due to such erroneous pay revision by the Finance (Personal claim fixation cell) Department ignoring the provisions of Rule-24 of said Departmental Examination Rules, 1961 (Annexure-2).

Loisa Junany Junany Junany

A copy of said letter no.47 dated 30.9.2013 is annexed as Annexure-3.

That the same issue of financial anomalies in pay revision under 6th pay revision of such B.A.S. Officers of petitioner association (who had not completed four years of service on 1.1.2006 and were placed in PB-2 on that day and subsequently upon completion of four years of service or

confirmation of service, the upgradation from PB-2 to PB-3 was done from the date whichever is later in the light of said circular no. 3623 dated 31.3.2010) has been raised by the petitioner by submitting letter no. 48 dated 30.9.2013 before the Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar, Patna.

A copy of said letter no.48 dated 30.9.2013 is annexed as Annexure-4.

- 10. That the respondents are sitting idle on the matter and despite several meetings with the concerned officers of the finance. department, no step has been taken towards redressal of the grievance and even the representations are not considered or replied with by any of the concerned respondents.
- 11. That the petitioner association has raised various issues before the finance department and despite continuous persuasion there is no one to look in to the problem of various financial anomalies under 6th pay revision.
- 12. That action/inaction on the part of the respondents is otherwise unjust, unfair and arbitrary and thereby violative of Article-14 of the Constitution of India.
- 13. That the petitioner has got no alternative equally efficacious remedy for redressal of the grievances raised herein except to move before this Hon'ble Court under its extra ordinary protective umbrella of writ jurisdiction.
- 14. That the petitioner has never moved before this Hon'ble Court earlier with respect to the contents of present application.

It is therefore, prayed that your . lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI and a writ upon the respondents to show cause as to why the prayer made in paragraph No.1 of the present writ application be not allowed and upon return of the Rule and after hearing the parties, as the cause may be shown make the same absolute.

And/or

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.


AFFIDAVIT

I, Sushil Kumar son of late Raghunath Prasad, aged about 51 years, the present Secretary General of petitioner Bihar Administrative Service Association having office at Administrative Service Building (BASA Bhawan). Jawahar Lal Nehru Marg, Patna-1, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

- 1. That I am Secretary General of petitioner association and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
- 2. That the contents of this application have been read, well explained and fully understood by me.
- 4. That the annexures are true/ photocopies of the respective originals.

pushi kumar

nnexure-1



बिहार सप्कार, विल विभाग

प्रेषक,

असण कुमार सिंह, उप सचिव ।

सेवा में.

महालेखाकार (ले० एवं ह०), महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना ।

दिनांक-


पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य ग्रेड-पे एवं पे-बैंड के संबंध में। विषय:-महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है कि – जो पदाधिकारी, दिनांक 01.01.2006 के पूर्व चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या दिनांक 01.01.2006 से 01.01.2010 के मध्यम पूरी करते हैं, उन्हें पे बैंड-3 कब से अनुमान्य होगा ? तथा उवत अनुमान्यता पदाधिकारी को वित्त (वैयवितक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा स्वतः उपलब्ध करा दी जाएगी या विभाग को आदेश निर्गत करना होगा ।

चूँिक यह विषय प्रश्न अन्य विभाग के पदाधिकारियों के संवंध में भी उट सकता है अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.01.2006 अथवा 04 (चार) वर्षे की सेवा (सम्पुष्टि सहित), जो भी वाद हो, से उन पदाधिकारियों को पी.वी.-3 एवं ग्रेड पे-5400 अनुमान्य होगा ।

चूँकि इस उल्क्रमण हेतु सेवा सम्पुष्टि आवश्यक है, अतः संबंधित विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि तथा वेतन उल्क्रमण का आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर वेतन पुर्जा (pay slip) निर्गत किया जाएगा (अर्थात् उल्हमण का लाभ स्वतः ही प्राप्त नही होगा) ।

> विश्वासभाजन, 601-(अरूप कुमार सिंह) उप सचिव ।



Annexus-2

(12)

•

of the officers and the subjects and standards in which they intend to appear, along with their applications, to the Secretary to the Central Examination Committee latest by the 16th May/16th September for the first/second half-yearly examination.

21. On receipt of such applications, the Secretary to the Central Examination Committee shall take necessary steps to inform the Centre Superintendents about the candidates permitted to appear at each centre and may also issue admit cards to the candidates for this purpose.

22. Confirmation.—An officer of the Bihar Civil Bervice (Executive Branch) will be confirmed in the service after—

- (a) he has rendered two years of continuous service as a Deputy Collector,
- (b) he has passed the Departmental Examination completely by the higher standard, and
- (c) Government consider the officer as suitable in all respects for confirmation in the service.
- 23. An officer of the Bihar Junior Civil Service appointed on a period of probation of two/lour years will be confirmed in the service after—
 - (a) he has rendered two/four years of continuous service as a Sub-Deputy Collector,
 - (b) he has passed the Departmental Examination in Law (Parts I and II) and Hindi by the Lower Standard and in Accounts and Development, and
 - (c) Government consider the officer as suitable in all respects for confirmation in the Bihar Junior Civil Service.
- 24. Regulation of Increments.—An officer of the Bihar Civil Service (Executive Branch) or the Bihar Junior Civil Service will be entitled to draw his first increment one year after the date of his appointment to the Service, or on the date of passing the departmental examination in Law (Parts I and II) and Hindi by the Lower Standard and in Accounts and Development, whichever he later. An officer who has rendered himself eligible to the first increment, will be entitled to draw the second measurement on completion of two years of service. He will be entitled to the third increment on completion of three years of service, on contirmation and on submission of records of cases, whichever be later:

Provided that an officer appointed on a period of probation of four years will, on rendering himself eligible for the first and second increments, be entitled to the third increment on completion of three years of service, and to the fourth increment on completion of four years of service, on confirmation and on submission of records of cases, whichever be later:

Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of

calleling and athresotic rescuit shes and the descriptifiting the condition co mestioned abuse to draw novemblat decemental shows the another invited as in the large transfer demonstrated description of the second

> 25. An officer of the Bihar Civil Service (Executive Branch) or the Palear Junior Civil Service will be entitled to draw pay at the third stage from the starting point in the respective time-scale of pay as soon as he passes the Departmental Examination completely in Law (Parts I and 11) and Hindi, by the Higher Standard and in Accounts and Development and on submission of records of rases, irrespective of his length of service; he will continue to draw pay at the third stage in the time-scale till be becomes cligible for the next stage in the respective time-scale according to rule 24. .

> > By order of the Governor of Bilar. N. NAGAMANI, Dy. Seev.

Cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases.

of the om the

25. An officer of the Bihar Civil Service (Executive Branch) or the Bihar Junior Civil Service will be entitled to draw pay at the third stage from the starting point in the respective time scale of pay as soon as he passes the Departmental Examination completely in Law (Parts I and II) and Hindi, by the Higher Standard and in Accounts and Development and on submission of records of cases, irrespective of his length of service; he will continue to draw pay at the third stage in the time scale till be becomes eligible for the next stage in the respective time-scale according to rule-24.

By order of the Governor of Bihar N. NAGAMANI, Dy. Secv.

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001 (पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in,

E-mail Id: infobasal@gmail.com

अध्यक्ष,

*सूरेश क्तार शर्जा मो० १८३१८१६५, १५३१४७७७४४

महासचिव, * सुशील कुतार

मो० 9431091417



उपाध्यक्षाः :-

*** सआवत हरान मिन्टो**

राजेन्द्र राम

संयुक्त सविवः

राववबन्द वार्डिवार

अबिस युगार

को बाध्यक्षः -

* चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः - * विबोद आबन्द

पत्रांक : 47

दिनांक 30 9/20/3

सेवा में

प्रधान सचिव वित्त विभाग. बिहार, पटना।

विषय:--

01.01.2006 को सेवा सम्पुष्ट नहीं होने के कारण पी0बी0-2 में कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त पी०बी०-2 से पी०बी०-3 में वेतन परिवर्तन की तिथि को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाम देते हुए वेतन-पूर्जा निर्गत नहीं किए जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जिनका 01.01.2006 को सेवा सम्पुष्ट नहीं होने के कारण पी0बी0-2 में वेतन निर्धारित हुआ था, को सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त पी०बी०-2 से पी०बी०-3 में वेतन परिवर्तन की तिथि को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत किया जाना अपेक्षित है। परन्तु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत सम्पुष्टि की तिथि को सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है तथा एक ही बैच के पदाधिकारी का वेतन भिन्न-भिन्न स्तर पर निर्धारित हो जा रहा है। साथ ही कुछ मामलों में वरीय पदाधिकारी का वेतन भी बिना किसी दंड के ही कनीय पदाधिकारी के वेतन से कम स्तर पर निर्धारित हो जा रहा हैं जो Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधान के भी विपरीत है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सेवा सम्पुष्टि की तिथि को पी0बी0-2 से पी0बी0-3 में वेतन परिवर्तन को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत करने का आदेश देने की कृषा . की जाय। अन्०- यथोक्त।

विश्वासभाजन (स्शील कुमार) महासचिव

ाषहार सरकार वित्तावै०दा०नि०गे०। विभाग निबंधीर, पटना



ज्ञाप तं0-दावको ७२ रेव दा ०२-६० ११

तेवा में

चिला पदाधिकारी. पटना ।

पटना, दिनांक-

अपूनरी क्षित वेतनमान पुनरी क्षित पे0 बैन्ड - प्राटिश-1-7-06से रेड वेo- 5400/-

आपको सूचित किया जाता है भी हेमना कुमार तिंह, वरीय उप समाहत्ता, पटना को राज्यत्र का पृष्ट के नीचे दी गई तारीखों से निम्नतिष्ठित दरों पर देतन/छुटी देतन और भत्ते पूर्व हैं ली गई राशि को घटाकर अनुमान्य है। जंबकभी इनके नाम अंतिम वेतन पत्र जारी, करे उसमें नीचे दिया ग्या वेतन का त्योरा देना वाहिए:-

वारि: 1-4-07 -7-07 1-4-08 14-4-08	15-4-08	20-5-0	814-6-081	6-6-08	1-7-08	H-1-09
मूल वेतन 21000 21630 21630 21630	21630	21630	21650	21630 75	22280 75	
में देतन कार्य वितेश वित्तम् 20 250 250 में) भ0न0न् 1260 1947 2596 2596	396	2596	2596	2596	56	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
चि0 भ0- 100 100 100 100 भागिकाक- १९२३ 1823 1868 1868 १ वित्रकारी- 180 180 180	(90) 1868 100	100 1868 180	100 1868 1860	1968 1968 190	1868	37-2 .180
स्त्री । अपूर्व विकास वि	4 2673	2637	4 .26374	24	20061	30834

।। विधीस हवार है। सो तेरह स्012 विधीस हवारमी सांतीतस्य 131 खीत हजार छ। तौ घोषीत स्वाध 1617 हिमाब हजार तीन तो चीहरूपर स्वाध एकीत हजार चार ती उत्यास स्व 22950 191 अठाईस हजार अञ्चलठ २०।।०।तीस हजार आहे सीउनासी स 8633 8033 ankono-4902 6197. -رايزدال 100 100 180 180 180

मा त्यानान्तरण्यनिनेबन् वतनवृद्धि वेतनपूर्णा शन्ये रहेने उपिति अवकाश की त्याकृति आदि की रियति में नये वेतनपूर्णा के आधुरि पर वेतन की

निकासी अनुमान्य होगी। [धित्तः विभाग के संकल्प संकि 30 दिनां के 21-1-2010 के आलोक में यह वितनपूर्वा निर्मत की जा रही है। वित्ता विभाग के संबल्प सं0-2/वि0121 पटनी, दिनांक 271-2018 के निर्देश के आलोक में बकायें राशि का भगतान विया-वाय-। 至0个

दिनांक- 19'5'10 तरकार के अवर ताचव 953(23) ज्ञापाक-प्रतिलिप:- ब्री हैमन्त कुमार सिंह, वरीय उप समाहत्ता, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

किम्मी किस्ति । अवन्देशवर नान ११ कार कार के अवर तिचिव । 212

· 中午日本村本村市村田村田本村田村市村市村田村田田田村市

T.C (15)

बिहार सरकार वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग बिहार, पटना

ज्ञाप सं0-दा0को023/वे0दा02-60/99 पटना, दिनांक-सेवा में,

> जिला पदाधिकारी पटना

अपुनरीक्षित वेतनमान:-पुनरीक्षित पे0 बैण्ड:-3।दि0-1-7-06 से। ग्रेड पे:- 5400/-

आपको सूचित किया जाता है श्री हेमन्त कुमार सिंह, वरीय टप समाहत्तां, पटना को राजपत्र का पृष्ट के नीचे दी गई तारीखो से निम्नलिखित दरों पर वेतन/छुट्टी वेतन और भत्ते पूर्व में ली गई राशि को घटाकर अनुमान्य है। जब कभी इनके नाम अंतिम वेतन-पत्र जारी करें उसमे नीचे दिया गया वेतन का व्योरा देना चाहिये।

व्योरा 1-4-07 1-7-07 1-4-08 14-4-08 15-4-08 20-5-08 14-6-08 16-6-08 1-7-08 1-1-09 मूल वेतन 21000 21630 21630 21630 21630 21630 21630 21630 22280 250 250 250 75 75 2596 2596 3565 4902 2596 2596 2596 मं0 म0 न0 - 1260 1947 100 100 100 100 100 100 100 चि0भ0−100 100

म0िक0भ0- 1823 1823 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868 3342

ब्योरे 26/3/09, 1/7/09, 1/1/10, 9/4/10 मृ0 वेतन 22280 22950 22950 22950 क0भ0 75 75 -म0कि0भ0 4902 6197 8033 8033 चि0भ0 100 100 200 200 (1) चौबीस हजार छ: सौ तेरह (2) पच्चीस हजार नौ सौ तीस रू० (3) छब्बीस हजार छ: सौ चौबीस रू० (4)(5)(6)(7) छब्बीस हजार तीस सौ चौहतर (8) छब्बीस हजार चार सौ उनचास रू० (9) अठाईस हजार उनसठ रुपये (10) तीस हजार आठ सौ अस्सी रू० (11) सताईस हजार पाँच सौ सैतीस (12) उनतीस

4590

180 180

25537,29502,31185,35773

12 11 13 14 हजार पाँच सौ दो रू0 (13)एकतीस हजार एक सौ तेरासी रू0(14) पैंतीस हजार सात सौ तेहत्तर रू0 मात्र

नोट (1) समय-समय पर सरकार द्वारा भ0 देय होगा

- (2) कटा हुआ है।
- (3) सरकारी आवास आवंरित नहीं रहने की अवधि में यथा अनुमान मकान किराया भत्ता देय होगा
- (4) स्थानात्ररण वेतन वृद्धि, वेतनपुर्जा, शुन्य रहने, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति आदि की स्थिति में नये वेतन पुर्जा के आधार पर वेतन की निकासी अनुमान्य होगी
- (5) वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 दिनांक 21-1-2010 के आलोक में यह वेतनपुर्जा निर्गत की जा रही है। वित्त विभाग के संकल्प सं 2/वि0 121 पटना दिनांक 2-1-2010 के निर्देश के आलोक में बकाये राशि का भुगतान किया जाय।

<u>750</u>

(विन्देश्वर लाल)

सरकार के अवर सचिव

झापांक - 953(23) दिनांक- 19/5/10

प्रतिलिपि- श्री हेमन्त कुमार सिंह वरीय उप समाहर्त्ता, पटना सूचनार्थ प्रेसित

ह0 (विन्देश्वर लाल)

सरकार के अवर सचिव।

विहार सरकार वित्त(वै0दा0नि0को0)विषाग तप संख्या- वै०दा०नि०को०/ २३/वै०४०-२-17/2000 ाता में, पटना. दिनांक- 8 4 10 1224(23.चिताः पदानिकारी..... अपुनरीक्षित वतनमानः-'पंटना' । '''' । पुनरीक्षित पे0 बैण्ड:- 3 ग्रेड पे0:- 5400/-आपको सूचित किया जाता है कि भी कुमार अनिल सिन्हा, वरीय उप समाहत्ता, पटना जपत्र का पृष्ट नीचे दी गई तारीखो से निम्नलिखित दरों पर वेतन/छुट्टी तेतन और भत्ते पूर्व में ली गई राशि ा घटाकर अनुमान्य है । जब कभी इनके नाम अंतिम वेतन-पत्र जारी करें, उसमें नीचे दिया गया वेतन का 1-4-07 1-7-07 1-1-08 1-7-08 1-1-09 3-3-09 2-4-09 1-7-09 1-1-10 10-4-10 ल वेतनः2163<u>0</u> 22280 22280 22950 75 22950 22950 75 75 22950 75 23640 23640 23640 क्0भ0-75 0भ0न0- 1298 2005 2674 3672 **\$049** 5049 5049 6383 8274 8274 10भ0-100 100 100 100 100 100 100 100 200 200

108Q10-180 यौग- 23103 24460 25129 26797 28174 31797 29322 31392 33887 ं। तेईस हजार एकं सौ तीन ल्012। वांवीस चार सौ साठा 31 पचीस हजार एकं सौ उनतीस 1410बीस हजार सात सो सन्तान्वे ल्015। अंगईस हजार एकं सौ चौहत्तार ल016। एकतीस हार सात सौ सन्तान्वे । उनतीस हजार तीन सौ वाईस रू०।८। एकतीस हजार तीन सौ अपसी रू०।९। तेनीस हजार आठ तौ तासी रूपये। 101 छतीस हजार आठ तौ वेआजीस रूपये मा^{त्र}।

3443

1148

1182

टः 1.अवकाश में रहने की रिथिति में अवकाश अविधि के वेतन की निकासी इस वेतनपुनी द्वारा अनुमन्य नहीं है । सरकार्ग आवास उपलब्ध रहने पर मकान किराया भ0 देय नहीं होगा ।

समय-समय पर सरकार द्वारा रवीकृत महिगाई भत्ता दे होगा ।

स्थान्तरण,निलंबित रहने,वेतनवृद्धि, वेतनपुर्जा शृन्य रहने,उपार्जित अवकाश की रवीकृति आदि की रिर्धात न नये वेतनपुर्जा के आधार पर देतन की निकासी अनुमान्य होगी ।

ं 0िक0 १२०-

वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 दिनांक 21.01.10 के आलोक में यह वेतनपुत्री निर्मत की जा 🚈 🖏 वित्त विभाग के कित्य सं0 02/वि0(2) पटना, दिनांध 02.01.10 वे निर्देश के अलीक में बकाय सांश का भुगतान का प्राप्त । मुल वेतन में ग्रेड वेतन सिमालित है। Frince Colle

ंदन्देश्वर लाल) (१) ५ माउप के अवर सचिव ।

1773 4728



बिहार सरकार वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वै0दा0नि0को0/23/पे0भ0-2-17-2000

पटना,

दिनांक-

सेवा में.

जिला पदाधिकारीए

पटना

म0िक0भ0-

अपुनरीक्षित वेतनमान:-

पुनरीक्षित पे0 बैण्ड:-3

ग्रेड पे:- 5400/-

आपको सूचित किया जाता है कि श्री कुमार अनिल सिन्हा , वरीय उप समाहर्त्ता, पटना राजपत्र का पृष्ट नीचे दी गई तारीखो से निम्नलिखित दरों पर वेतन/छुट्टी वेतन और भत्ते पूर्व में ली गई राशि को घटाकर अनुमान्य है। जब कभी इनके नाम अंतिम वेतन-पत्र जारी करें उसमे नीचे दिया गया वेतन का व्योरा देना चाहिये।

व्योरा 1-4-07 1-7-07 1-1-08 1-7-08 1-1-09 3-3-09 2-4-09 1-7-09 1-1-10 10-4-10 मूल वेतन 21630 22280 22280 22950 22950 22950 23640 23640 23640 75 के0भ0-75 .75 75 75 75 75 75 8274 6383 8274 5049 5049 3672 5049 मं0भ0न0-1298 2005 2674 100 100 100 चि0भ0-100 100 100 100 100 100 100 1773 4728 1148 1182

180

31380 33887 28174 31797 29322 योग- 23103 24460 25129 26797 10 5 3

3443

111 तेईस हजार एक सौ तीन रू0 121 चौवीस हजार चार सौ साठ 131पचीस हजार एक सौ उनतीस 141 छबीस हजार सात सौ सन्तान्वे रू० 151अठाईस हजार एक सौ चौहत्तर रू० 161 एकतीस हजार सात सौ सन्तान्वे 171 उनतीस हजार तीन सौ वाईस रू0 181 एकतीस हजार तीन सौ अस्सी रू0 191 तेतीस हजार आठ सौ सतासी रूपये। 1101 छतीस हजार आठ सौ वेआलीस रूपये मात्र।

अवकास में रहने की स्थिति में अवकाश अविध के वेतन की निकासी इस वेतनपुजा द्वारा अनुमान्य नहीं है। सरकारी आवास उपलब्ध रहने पर मकान किराया भ0 देय नहीं होगा। समय -समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता दे होगा। स्थान्तरण, निलंवित रहने, वेतनवृद्धि, वेतनपुर्जा शून्य रहने, उपार्जित अवकाश की सवीकृति आदि की स्थिति मे नये वेतनपुर्जा के आधार पर वेतन की निकासी अनुमान्य होगी। वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 दिनांक 21/01/10 के आलोक मे यह वेतनपुर्जा निर्गत की जा रही है। वित्त विभाग के संकल्प सं0 02/वि(2) पटना, दिनांक 02/01/10 के निदेश के आलोक मे वकाये राशि का भुगतान किया जाय। मूल वेतन में ग्रेड वेतन सम्मिलित है।

> (विन्देश्वर लाल) सरकार के अवर सचिव।

बिहार प्रशासनिक सेवा

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001 (पंजीयन सं॰-633/2003)

Website: basabihar.in,

E-mail Id : infobasal@gmail.com

ntobasa1(कृष्टुmail.com उपाध्यक्षः :-

🛊 सआयत हराब निन्टो

wxwx-4

* राजेन्द्र राम

र्ययुक्त सचिव:- * राजवबन्द यार्डिवार

* अबिस युगार

दिनांक 30 9/20/3

को जाध्यक्ष:- * चद्ध शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विबोद आबन्द

* सुरेश प्तुजार शर्जा मो० १४31818346, १४31479774 महास्विव * सुरीति प्तुजार मो० १४31091417



पत्रांक :....पु. 🖁

अध्यक्ष,

सेवा में

प्रघान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्त विभाग के परिपत्र सं0-3623 दिनांक-31.03.2010 के आलोक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-15492 दिनांक-23.09. 2013 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 01.01.2006 को पीठबीठ-2 में कार्यरत पदाधिकारियों को पीठबीठ-2 से पीठबीठ 3 में वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति आदेश को सेवा सम्पुष्टि/चार साल की सेवा अवधि की तिथि (जो बाद में हो) के प्रभाव से करने के कारण वित्तीय anomalies पैदा होने तथा Departmental Examination Rules of gazette/officers 1961 के provisions के violation होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप बिहार प्रशासनिक सेवा के जिन पदाधिकारियों की सेवा 01.01.2006 को चार वर्ष से कम अविध की थी, उनका वेतन 01.01.2006 को पी0वी0—2 में निर्धारित किया गया। सेवा अविध 4 वर्ष पूर्ण होने एवं सेवा सम्पुष्ट होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनलोगों का पी0वी0 2 से पी0वी03 में वेतन बैंड परिवर्तन का आदेश वित्त विभाग के परिपन्न सं0—3623 दिनांक—31.03.2010 के आलोक में सम्पुष्टि की तिथि या 4 वर्ष की सेवा अविध, जो बाद में हो, की तिथि से किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश से वेतन विसंगति के साथ—साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि भी एक ही बैच के पदाधिकारियों का अलग—अलग हो जाएगा। साथ ही इस आदेश से वरीय पदाधिकारी का वेतन कनीय पदाधिकारी से कम पर निर्धारित भी होगा जो Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के भी विपरीत है।

वित्त विभाग के परिपत्र सं0—3623 दिनांक—31.03.2010 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्गत आदेश के कारण वैसे वरीय पदाधिकारी (जिनकी संवा सम्पुष्टि चार वर्षों की अवधि के काफी बाद में हुआ हो) का प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि भी उनसे कनीय वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा सम्पुष्टि चार वर्ष अन्तराल पर ही हो गई हो, के बाद की तिथि से होने की भी संभावना रहेगी तथा इस प्रकार की रिथित में भी वेतन विसंगति उत्पन्न होगी।

वित्त विभाग के इस परिपत्र के निर्गत होने के पूर्व में सम्पुष्टि की तिथि वाद में रहने की रिथित में पूर्व के सभी वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत एक साथ जोड़कर, सम्पुष्टि की तिथि को वैसे पदाधिकारियों का वेतन अपने बैच के सभी पदाधिकारियों के समान स्तर पर लाया जाता था तथा सेवा में 12 वर्ष की अवधि पर प्रथम तथा 24 वर्ष की अवधि पर द्वितीय वेतन उन्नयन स्वीकृत किया जाता था, जो कि सम्पुष्टि की तिथि से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता था।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए पी0बी0-2 से पी0बी0-3 में वेतन परिवर्तन को वैचारिक रूप से चार वर्ष की अवधि पर दिया जाय तथा इसका वास्तविक लाभ सेवा सम्पुष्टि की तिथि/चार वर्ष की अवधि, जो बाद में हो, की तिथि से देने का आदेश निर्गत किया जाय। अन्०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्अनिक्री का M (सुशील कुमार) महासचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.19165 of 2014

-						~ .	
н	201	A r	112211	ictro	tisio	Service	Association
	 11:11	/11		บอนส	1111	DCI VICC	ASSOCIATION

... ... Petitioner/s

Versus

The State Of Bihar and Ors

... ... Respondent/s

Appearance:

For the Petitioner/s

Mr. Abhay Shankar Singh, Advocate

Mr. Mani Kant Mishra, GP-25

For the Respondent/s :

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH and HONOURABLE MR. JUSTICE HARISH KUMAR ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH)

2 02-12-2022

The matter has been heard through video

conferencing.*

2. Heard Mr. Abhay Shankar Singh, learned counsel for the petitioner and Mr. Mani Kant Mishra, learned GP 25 for the State.

3. As jointly prayed for, the matter is adjourned for the day.

(Ahsanuddin Amanullah, J)

(Harish Kumar, J)

shakir/manoi/-

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.19165 of 2014

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sushil Kumar son of Late Raghunath Prasad, having office at Administrative Service Building (BASA Bhawan), Jawahar Lal Nehru Marg, Patna- I

... ... Petitioner/s

Versus

- 1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar, Patna.
- 2. The Principal Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar,
- 3. The Under Secretary, Finance Department, Personal Claim Fixation Cell (PCFC), Govt. of Bihar, Patna
- 4. The Officer-in-Charge-cum-Authorised Officer, Personal Claim Fixation Cell (PCFC), Finance Department, Govt. of Bihar, Patna

... ... Respondent/s

Appearance:

For the Petitioner/s
For the Respondent/s

Mr. Abhay Shankar Singh, Advocate

Mr. Anil Kumar Singh, GP-26

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH and

HONOURABLE MR. JUSTICE HARISH KUMAR ORAL JUDGMENT (Per: HONOURABLE MR. JUSTICE HARISH KUMAR)

Date: 05-12-2022

Heard Mr. Abhay Shankar Singh, learned counsel appearing on behalf of the petitioner and Mr. Anil Kumar Singh, learned GP-26, for the State.

2. The petitioner, who is Bihar Administrative Service Association, came before this Court for the following reliefs:

A) For issuance of appropriate writ/writs,

Department regarding admissibility of grade pay and pay band in revised pay scale, which is contrary to the proviso of Rule-24 of Departmental Examination Rules, 1961 and further for a consequential writ directing the respondents to implement the proviso of said Rule-24 by giving notional benefit to all the officers of petitioner association under 6th pay revision, as contemplated therein following terms: "Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of record of cases."

- B) For any other relief/reliefs to which the petitioner is found entitled under the facts and circumstances of the present case."
- 3. In the midst of argument, Mr. Abhay Shankar Singh, learned counsel for the petitioner submits that for ventilating his grievance, he filed a representation before the Principal Secretary. Finance Department, Government of Bihar, Patna and the same

- 4. In view of the submissions made on behalf of the learned counsel for the petitioner, the present writ application stands disposed of with a direction to the Principal Secretary, Finance Department, Government of Bihar to consider the representation of the petitioner, as contained in Annexure-4 to the writ application, and pass a reasoned and speaking order preferably within a period of three months from the date of production of a copy of this order.
 - 5. Accordingly, the present writ application stands disposed of.
 - 6. It is needless to say that any outcome of the order passed by the Principal Secretary, Finance Department, the natural consequence would follow.

(Ahsanuddin Amanullah, J)

(Harish Kumar, J)

uday/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	08.12.2022
Transmission Date	NA

SPEED POST

वित्त विभाग।

प्रेषक.

सुरेन्द्र ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।

सेवा में.

प्रधान सचिव. 1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /

श्री सुशील कुमार, महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001

पटना, दिनांक : 21/12/2022

C.W.J.C. No. 19165/2014 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार राज्य विषय :--एवं अन्य में दिनांक- 05.12.2022 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।

महाशय.

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-29.12.2022 (बृहस्पतिवार) को अपराह्न 5.00 बजे आपके पक्ष की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर

अपना पक्ष रखें।

2. प्रशासी विभाग से अनुरोध है कि संदर्भित मामलों में किसी जानकार वरीय पदाधिकारी को उक्त निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर भेजकर विभागीय अभिमत/मंतव्य से वित्त विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Se 21/11/201

(सूरेन्द्र ठाकुर) सरकार के अवर सचिव

SPEED POST

पेषक.

सुरेन्द्र ठाकुर, सरकार के अवर राचिव।

सेवा भें,

- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना/
- श्री सुशील कुगार, महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू गार्ग, पटना-800001

पटना, दिनांक :

C.W.J.C. No. 19165/2014 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में विषय:-दिनांक- 05.12.2022 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-25.04.2023 को अपराह्न 4:30 बजे आपके पक्ष की सुनवाई हेत् तिथि निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, रथान एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष

रखें।

2. प्रशासी विभाग से अनुरोध है कि संदर्भित मामलों में किसी जानकार वरीय पदाधिकारी को उक्त निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर भेजकर विभागीय अभिमत/मंतव्य से वित्त विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-(सुरेन्द्र ठाकुर) सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापाक-3ए-1-मुक०-133 / 2022-/ वि०, पटना, दिनांक-प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

> ह0 ∕ − (सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव। ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-133/2022- 3568/वि०, पटना, दिनांक- 1<u>9</u> 04 2023 प्रतिलिपि—आई० टी० मैनेजर वित्त विभाग, विहार, पटना को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के ई—मेल आई0डी0-infobasa1@gmail.com पर भेजने हेतु प्रेषित।

> (सुरेन्द्र ठाकुर) सरकार के अवर सचिव।

D/LF 2023/Meeting Letter

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- वेतन विसंगति के संबंध में।

महोदया.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा निर्गत वेतन पर्ची में त्रुटी प्रतित हो रही है। चूंकि मेरी एवं राज किशोर लाल की नियुक्ति तिथि एवं योगदान तिथि 21.08.2001 है जो एक समान है। परन्तु दोनों के वेतन पर्ची में अंकित राशि में अंतर है।

अतः अनुरोध है कि मेरे वेतन पर्ची में अंकित राशि को शुद्ध करने की कृपा की

जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन '

(रविन्द्रनाथ चौधरी)

विशेष कार्य पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना। मो० नं०:-9431265784 वित्त (वें०दा०नि०को०) विभाग (Finance (P.C.F.C.) Department)

श्री राज किशोर तात पटनाय: यगिय उप गमाहर्ना

पता:- पुत्री मंपारण

वेतन पूर्जा संख्या 14031923013139 म्थायी.

प्राप्ति संख्याः 280119230066 वर्वाणिकारी प्रति राजपात्रत प्रतीधकारियों हेतु येतनपुजी प्रमितिकारिया अस्ति। वस्ति। वस्ति। वस्ति। वस्ति। वस्ति। पदाधिकारी के पेतन/अयकारा पेतन की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

येतनमान \LEVEL-11 (67,700-208,700) येतनयृद्धि की देय तिथि '01-जुनाई

मुल पृष्ठ :

उपलब्ध उपार्जित अवकाश :

महत्वपूर्ण : यह वेतनपुर्वो कम्प्यूशोक्त है और इसमें किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं है। यह येतनपुर्जा प्राधिकृत कोणागार के लिए ही मान्य होगा। येतन निकार्या संबंधित निकासी एवं व्यथन पद्मधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यह शेतनपूत्रों छथी सक्ष अनुपान्य होगा जबनक पद्मधिकारी वर्तमान पद्मध्यापन स्थल पर कार्यरत रहेंगें।

तिथि से मुल बेतन महत्वे. मह.म. चि.म. मिक्रम.	25/8/18 0 0 0	24/10/18 83 300 7 497 1,000	3 1/1/19 83 300 9 996 1.000	The second secon	End Of Row **		
_{सेत्र} श शब्दों में :		91-797	94;296				

1. Rupees NIL

बिहार सेवा संहिता के भाग-॥ परिशिष्ट

引出

:-अवकाश स्वीकृति माग -4 के नियम -

EK Ó

华

2. Rupees Ninty One Thousand Seven Hundred Ninty Seven Only

3. Rupees Ninty Four Thousand Two Hundred Ninty Six Only

येतनपूर्जा निर्गत किया जाता है:

अनुपालन सुनिध्यित कोपागार पदाल उच-कोपागार पदालोतिहारी(पू0 चंपारण)

2. संवीधत निकामी एवं व्ययन पदा॰

निकासी एवं य्ययन पदाधिकारी वेतन पुत्री संख्या :

14031923013139

प्राप्ति संख्या :

280119230066

म्थापना उपममाहर्ता

मोतिहारी(पू0 चंपारण)

अभ्युक्ति :अनुलग्नक :-

म्थानातरण /पदस्थापन के आलोक में वेतन पुर्जा निर्गत . दिनांक 25-08-18 को PNR , सरकारी आवास आवंटित नहीं रहने की स्थिति में मकान किराया भना यथानुमान्य देय होगा ।,

प्राधिकृत पदाधिकारी

ऐनेक्सी ब्लॉक-3, (मृतल) पुराना सचिवालय, पटना-800 015, बिहार। Solution Provided By: Software I duration & Research (2) 114

25/01/2012

		•	20		(Bo 1. of E				(2)	
Comment of the last		वित (वेटर	त्विक्रीत)	विभाग (Finar ce (P.0	C.F.C.) De	partment)	Land the said the said of the said	and the same of	
د الدول مند عن دو ۱۳۰۶ و ا	ाधः धीरती भोकः विवादन ।	नेकारच गुकारि	i+i)	rs	कारी जंगवन इन्ह्यों। प्रतिपन फ्टोरेंग ही के बेट	पदाधिकारी इंटर हेनू कारा एउटावास केर	al bang ki Meterekan	प्रमुख्या विषय विकास	दुई ⁷ दे ह	
•	नाम्य क्षेत्रीसार	1			वेतनम् नः LEVEL-11 (87,700-208,700) गेतनपुष्टि की देप विधि :१४/० मुस पुष्टा : । मृस कडिया । उपस्थ उपर्जित अवकारा :					
1915) 290318230 3914 Yali W	ect 113766		ਜੰਦਰ: : 319230100	1						
सम्बद्ध : य	केल्युचं कम्प् एवं ज्यार कर्ड	स्थान है क्षेत्र १	हम्मे किसी प्रका की कराने। का	र का मुख्य भारतको स	द्वाः है। य रेक्त प्रमुख्यः ।	वेतापुर्व प्रशेष रेप क्यान पर	त कोपाबर के वि किरादि करिया !	स्ति क्या हो। सम्बद्धाः स्टब्स	ा केला है। स कर्मक	
The major of the section		Andread Miles and Annual	and the second						and the second of	
किंद्र के	2008							1		
26 920	80,800									
स्दू र स्टू	8.738					Į				
Pe a	1,300								1	
• • •					- OFROM					
								1		
								1	1	
					Ì			1	1	
						1	1	1		
							1	1		
				1				1		
									ĺ	

			ĺ		0					
- 4-4 	91.504									
प्रीत शब्दों में										
l Ropees his	nty three Theor	sand Sis Hu	ndred Eight	Only						
•										
नपद्धी विदेश	িছিহা আন্দ	t.	Miles of the Control	a.,	अध्युक्ति :	अनुसामक :	miles to the same			
बोदगर परा	√ डप-कोक क्य	परा मोतिह	मिष्ठ चंपार	71)				र्भ विपलबद्ध का	-	
मंबीधत निका	छै दर्ज व्यवत	पद्म :			प्रन्दवा देत	र पूर्वा निषंट प	तानु प्राप्त मा सान्तु में स्टिताई	त्र वरशक्त कर होति।	At alle	
	वन वहाधिका	A								
7903 1923 441 =	013/63	05031	8530100			•				
अपुर्वप्रच परार्थ	great)									
-	च्याग्य)-64 5	401							-0-7	
,					1			7	-10114	

वेरेकावे कर्णक-३, (मुकल) पुत्रण मांविकालय, वरण-800 015, विद्यारा

िक्सार सम्बाग (Govl. of Bihar)

বিন (বিল্যাক্সিক্সাক) বিসাদ (Financo (P.C.F.C.) Department) निकासी एवं व्यापन प्रताधिकारी की वर्ति गरनोत्रा प्रताधिकारी का करित प्रतिविधिकारी का कार्यकार्थ का करित भी रविन्द्र साथ चौधरी वस्त्राम विशेष कार्य पदाशिषारी पार्वपासम् क नेवारभावसाम नवत की विसामी हवू प्राप्टिक किया पहले है। क्ता- मगान्य प्रभागन विभाग, विहार, पटना 15 7/17/17 : LEVEL-11 (87,700-208,700) यक्तायुद्धि की देन विशेष मिन्स्याई वेतन पूर्ण मंख्याः पाशि गंक्या : नत्त पुष्ट : 1 कल काइमा ३ 29072123043008 070721230007 उपलब्ध उपातिन अवकाम : महत्त्वपूर्ण : यह यह प्यापुण कामुणीहरू है और उससे किसी काम वास मुखा करा नहीं है। यह वासपूर्ण प्रांपहरू आवार के लिए ही बारक बारा करते हिस्सी मबोधन विकासी एक भ्ययन प्रतासकाते हो। हो को बागगी। यह वेत्रापुको तभी तक अपूर्णन होता तकाक प्रतासकात वर्णन पर्यक पर कारण होती। Ti H 117121 28.6/2 # 113 88 400 ध्य देत्र 85 800 ER È 15 078 14 586 Ç EE E 1 000 1 000 13 4 13 728 14 144 # P. # End Of Ro मुध्य TE नोर ः निकासी एवं द्यायन पदाधिकारी पदाधिकारी पनि संबन्धित पदाधिकारी 118,572 115,11 कुल बेतन সূত্র্টাস্টিes One Lac Fifteen Thousand One Hundrad Forteen Only 2. Rupees One Lac Eighteen Thousand Five Hundred Seventy Two # MTT-11 मिनिधिय मिरिया 臣 E स्यानांतरण /पदस्यापन के आलोक में वेतन पुर्जा निर्गत . अभ्यक्ति : विनियुर्जा निर्गत किया जाता है: पटना सिंवाई भवन क्षित्रामार पदाल उप-काषामार पदाल ्राचत निकासी एवं व्ययन पत् कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कि वेतन पुजी संख्या : #2 mमर्वोधत निकासी एवं व्ययन परा० प्राप्ति संख्या : 070721230067 नेवा में, न्नित्ति

ऐनेक्सी ब्लॉक-3, (भूतल), पुराना सचिवालय, पटना-800 २१5, विहार, फोन नं०: 0612-2217228, ईमेल: payslipsection@gmail.com × 28101/2022

Page 1 of 1

जबर मनिन (लेखा)

समान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना-15

4

E

प्राधिकृत पदाधिकारी

Annexuse-4 हार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001 (पंजीयन सं॰-633/2003)

Website: basabihar.in ,

E-mail Id : infobasal@gmail.com

अध्यहा सुरेश फुलार वार्ता

the \$431818346, \$431479774

महास्थित. * खशील प्रकार मो० 9431091417



उपाध्यक्ष :-

सञावठ हराब तिवदी

याचेन्द्र याम

गुंयुक्त सिवः

राजयबन्द यार्डियार

अबिस प्रांतार

कोषाध्यक्ष:-

चद्ध शैस्त्रर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विबीद आबन्द

दिनांक 30 9/20/3

सेवा में

प्रघान सचिव वित्त विभाग. बिहार, पटना।

विषय:-

वित्त विमाग के परिपत्र सं0-3623 दिनांक-31.03.2010 के आलोक सामान्य प्रशासन विमागं की अधिसूचना संख्या-15492 दिनांक-23.09. 2013 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 01.01.2006 को पी0बी0-2 में कार्यरत पदाधिकारियों को पी०बी०-2 से पी०बी० 3 में वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति आदेश को सेवा सम्पुष्टि/चार साल की सेवा अवधि की तिथि (जो बाद में हो) के प्रमाव से करने के कारण वित्तीय anomalies पैदा होने तथा Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के violation होने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप बिहार प्रशासनिक सेवा के जिन पदाधिकारियों की सेवा 01.01.2006 को चार वर्ष से कम अवधि की थी, उनका वेतन 01.01.2006 को पी०वी0-2 में निर्धारित किया गया। सेवा अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने एवं सेवा सम्पुष्ट होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनलोगों का पी०बी० 2 से पी०बी०3 में वेतन बैंड परिवर्तन का आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-3623 दिनांक-31.03.2010 के आलोक में सम्पुष्टि की तिथि या 4 वर्ष की सेवा अवधि, जो बाद में हो, की तिथि से किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश से वेतन विसंगति के साथ-साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि भी एक ही बैच के पदाधिकारियों का अलग-अलग हो जाएगा। साथ ही इस आदेश से वरीय पदाधिकारी का वेतन कनीय पदाधिकारी से कम पर निर्धारित भी होगा जो Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के भी विपरीत है।

वित्त विभाग के परिपन्न सं0-3623 दिनांक-31.03.2010 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्गत आदेश-के कारण वैसे वरीय पदाधिकारी (जिनकी सेवा सम्पुप्टि चार वर्षों की अवधि के काफी बाद में हुआ हो) का प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि भी उनसे कनीय वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा सम्पुष्टि चार वर्ष अन्तराल पर ही हो गई हो, के बाद की तिथि से होने की भी संभावना रहेगी तथा इस प्रकार की स्थिति में भी वेतन विसंगति उत्पन्न होगी।

वित्त विभाग के इस परिपन्न के निर्गत होने के पूर्व में सम्पुष्टि की तिथि वाद में रहने की रिथति में पूर्व के सभी वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत एक साथ जोड़कर, सम्पुष्टि की तिथि को वैसे पदाधिकारियों का वेतन अपने बैच के सभी पदाधिकारियों के समान स्तर पर लाया जाता था तथा सेवा में 12 वर्ष की अवधि पर प्रथम तथा 24 वर्ष की अवधि पर द्वितीय वेतन उन्नयन स्वीकृत किया जाता था, जो कि सम्पुष्टि की तिथि से किसी प्रकार प्रमावित नहीं होता था।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए पी0बी0-2 से पी0बी0-3 में वेतन परिवर्तन को वैचारिक रूप से चार वर्ष की अवधि पर दिया जाय तथा इसका वास्तविक लाभ सेवा सम्पृष्टि की तिथि/चार वर्ष की अवधि, जो बाद में हो, की तिथि से देने का आदेश निर्गत किया जाय। अन्०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

धुभीन्द्री ना)५ (सुशील कुमार) महासचिव

पत्र सं0-12/वे0-भ0-2901/2022- साठप्र0-बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विमाग

प्रेषक.

राम शंकर, भा०प्र०रो० सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

प्रभारी पदाधिकारी. वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:-बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतन विसंगति के संबंध में ।

महाशय.

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, वि०प्र०सै०, कौ० क0-570 / 19, विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अनुरोध किया है कि वित्त (वै0दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के एक हीं बैच के पदाधिकारियों का वार्षिक वेतनवृद्धि अलग-अलग तरह से निर्धारित किया जा रहा है, जिस कारण वेतन विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार असैनिक सेवा के संदर्भ में Departmental Examination

Rules-1961, Part- II की कांडिका-24 में निम्नांकित प्रावधान है:-

24. Regulation of Increments.- An officer of the Bihar Civil Service (Executive Branch) or the Bihar Junior Civil Service will be entitled to draw his first increment one year after the date of his appointment to the Service, or on the date of passing the departmental examination in Law (Parts I and II) and Hindi by the Lower Standard and in Accounts and Development, whichever be later. An officer who has rendered himself eligible to the first increment, will be entitled to draw the second increment on completion of two years of service. He will be entitled to the third inrement on completion of three years of service, on confirmation and on submission of records of cases, whichever be later:

Provided further that if the passing of the Departmental Examination or the Confirmation of the officer or the submission of recods of cases be delayed. the officer will be entitled, on fulfilling the conditions mentioned above, to draw pay at that stage in the time-scale to which he would have been entitled, had there been no delay in passing of the Departmental Examination or in his confirmation or in the submission of records of cases.

अतः अनुरोध है कि बिहार असैनिक सेवा के संदर्भ में Departmental Examination Rules-1961, Part- II की कंडिका-24 के उक्त प्रावधान के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा परीक्षा / परीक्षायें उत्तीर्ण होने एवं केस रेकर्ड जमा करने / अनुमोदित होने पर वेतन–वृद्धि के भुगतान के मामले में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

विश्वासभाजन,

₹0/-(राम शंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/वे0-भ0-2901/2022- सा0प्र0-20860/पटना, दिनांक- 2 रि.11.22 प्रतिलिपि-श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, बि०प्र०से०, विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव



रांचिका रां0-वै०वा०नि०को०-23/विविध-01/2017/.....-

बिहार रारकार वित्त (वैठवाठनिठकोठ) विभाग

ऐनेक्सी ब्लॉक-03,(भूतल), पुराना राचियालय, पटना-800015

दूरभाष—0812—2217228, E-mail ID-payslipsection@gmail.com

प्रेषक,

रूपग,

प्रभारी पदाधिकारी।

सेवा में,

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना-15

2 1 CEC 2022

प्रामान्य प्रशासन विधाय

प्राप्य

18664

पटना, दिनांक-

विषय:--

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतन विसंगति के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कोषांग के पत्रांक-912(23) दिनांक-23.08.2022 एवं सामान्य प्रशासन विमाग

का पत्रांक-20860 दिनांक-24.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि श्री रिवन्द्र नाथ चाँचरी, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक—570/19), विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के द्वारा कहा गया है कि वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, विहार, पटना के द्वारा विहार प्रशासनिक सेवा के एक हीं वैच के पदाधिकारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि अलग—अलग तरह से निर्धारित किया जा रहा है, जिस कारण वेतन विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। श्री चाँचरी के अनुरोध के आलोक में आपके द्वारा विहार असैनिक सेवा के संदर्भ में Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के नियम—24 के प्रावधान के अनुरूप विहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं केस रिकार्ड जमा करने/अनुमोदित होने पर वेतन वृद्धि के भुगतान के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2) विदित हो कि बिहार प्रशासिनक सेवा संघ द्वारा श्री सुधीर कुमार, उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रित विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अजीत कुमार सिंह, वि०प्र०से० (कोटि क्रमांक—1043/11), सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना का प्रभार ग्रहण की तिथि एवं प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति तिथि समान होने के पश्चात् वेतन निर्धारण में भिन्नता होने के कारण Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के नियम—24 के द्वितीय परंतुक में निहित प्रावधान के अनुरूप संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें निम्नवत् परामर्श दिया गया:—

"संघ के अभ्यावेदन के आलोक में नियंत्री विभाग का कोई मत गठित नहीं है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या—630 दिनांक—21.01.2010 के आलोक में 04 (चार) वर्ष की सम्पुष्ट सेवा के उपरांत हीं PB—02+5400/—PB—03+5400/— में in-situ उत्क्रमण किया जाना है, जो सामान्य रूप से सभी पर लागू है।"

D-/All Data 2021/Latter 2021-48

3) श्री सुधीर कुमार बि०प्र०से० एवं श्री अजीत कुमार सिंह, वि०प्र०से० की नियुक्ति तिथि— 03.10.2000 है, परन्तु क्रमशः सेवा सम्पुष्टि की तिथि—02.06.2010 एवं दिनांक—23.06.2004 है।

4) श्री सुधीर कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना सं0—2361, दिनांक—19.02.2014 द्वारा पे0—बैंड रू0—9300—34800 /—ग्रेड पे0—5400 से पे0—बैंड रू0—15600—39100 /— ग्रेड पे0—5400 में स्वीकृति दिनांक—02.06.2010 के प्रभाव से एवं श्री अजीत कुमार सिंह को दिनांक—01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के स्वीकृत्यादेश के आलोक में वेतन निर्धारण करते हुए इस कोषांग द्वारा वेतन पुर्जा निर्गत किया गया है। विदित हो कि इस कोषांग द्वारा स्वीकृत्यादेश एवं वित्तीय उन्नयन / प्रोन्नति के आलोक में वेतन निर्धारण करते हुए वेतन पुर्जा निर्गत किया जाता है। Departmental Examination of Gazetted Officers Rules, 1961 के नियम—24 के द्वितीय परंतुक में निहित प्रावधान एवं वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में नियंत्री विभाग द्वारा अभिमत गठित करना अपेक्षित है। पूर्व में प्रासांगिक पत्र (संलग्न) द्वारा अभिमत गठित कर वित्त विभाग के परामर्शी शाखा से परामर्श प्राप्त कर इस कोषांग को सूचित करने का अन्रोध किया गया है, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अभिमत गठित करते हुए वित्त विभाग के परामर्शी प्रशाखा से परामर्श प्राप्त कर इस कोषांग को सूचित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0 / — **(रू**पम)

प्रभारी पदाधिकारी। ज्ञापांक:— वै०दा०नि०को०—23 / विविध—01 / 2017 / 1376 (23) / पटना, दिनांक:— 16 / 12 / 22 प्रतिलिपि:— श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक—570 / 19), विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना—15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

(रूपम) प्रभारी पदाधिकारी।

Annexure-1



बिहार सप्कार, विल विभाग

प्रेषक.

असण कुमार सिंह, उप सचिव ।

सेवा में.

महालेखाकार (ले० एवं ह०), महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना ।

दिनांक-

विषय:- पुनरीक्षित वेतनमान में अनुगान्य ग्रेड-पे एवं पे-बैंड के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य कर विभाग, विहार, पटना द्वारा यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है कि — जो पदाधिकारी, दिनांक 01.01.2006 के पूर्व चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या दिनांक 01.01.2006 से 01.01.2010 के मध्यम पूरी करते हैं, उन्हें पे बैंड-3 कब से अनुमान्य होगा ? तथा उक्त अनुमान्यता पदाधिकारी को वित्त (वैयवितक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा स्वतः उपलब्ध करा दी जाएगी या विभाग को आदेश निर्गत करना होगा।

2. चूँिक यह विषय प्रश्न अन्य विभाग के पदाधिकारियों के संवध में भी उठ सकता है अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.01.2006 अथवा 04 (चार) वर्षों की सेवा (सम्पुष्टि सहित), जो भी वाद हो, से उन पदाधिकारियों को पी.वी.-3 एवं ग्रेड पे-5400 अनुमान्य होगा।

चूँकि इस उल्हमण हेतु सेवा सम्पुष्टि आवश्यक है, अतः संवंधित विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि तथा वेतन उल्क्रमण का आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर वेतन पुर्जा (pay slip) निर्गत किया जाएगा (अर्थात् उल्क्रमण का लाभ स्वतः ही प्राप्त नहीं होगा) ।

विश्वासभाजन, ह०/-(अरूण कुमार सिंह) उप सचिव ।